राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1897/2008/अलवर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, अलवर। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स संदीप कुमार पुत्र ओमप्रकाश अललपुर
जिला मेरठ, (उत्तरप्रदेश) .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से
अनुपस्थित .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 30/08/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 905/आरएसटी/एनआरडी/2000–01 में पारित आदेश दिनांक 07.11.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, अलवर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.03.2001 के अन्तर्गत राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 78(5) के तहत कायम शास्ति राशि रूपये 26,250/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 17.03.2001 को वाहन सं. HR38-E/6100 को चैक किया गया। वाहन में लदे माल से सम्बन्धित दस्तावेजात वाहन चालक से मांगते हुए वाहन में लदे माल के बाबत जानकारी चाहने पर उसके वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा बयान किया गया कि वाहन में 250 कट्टे गुड लदा है, जो कि वह सरधना मेरठ से लाया है व नसीराबाद लेकर जा रहा है तथा माल से सम्बन्धित कोई दस्तावेज उसके पास नहीं है। इस प्रकार वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा बिना दस्तावेजों के कर चोरी की नियत से उक्त वाहन में माल परिवहनीत किया जा रहा था, जो कि राजस्थान बिक्री कर अधिनियम की धारा 78(2) का स्पष्ट उल्लंघन था। अतः वाहन चालक/मालक प्रभारी को वास्ते स्पष्टीकरण नोटिस दिया गया। नोटिस का जवाब वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा उनके विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत करते हुए माल से सम्बन्धित दस्तावेजात (किसान बही, बिल्टी व वांछित घोषणा प्रपत्र एसटी–18ए आदि) भी प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत जवाब से असहमत हेते हुए एवम् दस्तावेजों को बाद में प्रस्तुत किया गया मानते हुए बिना दस्तावेजों के कर चोरी की नियत से परिवहनीत किये जा रहे माल कीमतन रू. 87500/– पर धारा 78(5) के तहत शास्ति रू. 26,250/– आरोपित की गई। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की, अपीलीय अधिकारी ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर आरोपित शास्ति राशि को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2m

लगातार.....2

3. बहस विद्वान अभिभाषक एकपक्षीय सुनी गई।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. राजस्व पक्ष की एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी पर परिवहनित माल के साथ वांछित दस्तावेज नहीं होने के कारण करापवंचन की नियत से माल परिवहनित करने का दोषी मानते हुये शास्ति आरोपण की कार्यवाही की गई है, जबकि रेकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि परिवहनित माल वांछित दस्तावेजों से समर्थित था जो कि नोटिस के जवाब के साथ प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत कर दिये गये थे। उसके बावजूद भी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच किये बिना नकारते हुये प्रत्यर्थी के विरूद्ध शास्ति आरोपण की कार्यवाही की गयी, जो विधिसम्मत प्रतीत नहीं होती है। इस प्रकार सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध शास्ति आरोपण की कार्यवाही बगैर किसी उचित आधार के बगैर प्रत्यर्थी का करापवंचन का दोषी मनोभाव सिद्ध किये व बगैर प्रस्तुत दस्तावेजों को मिथ्या एवं बोगस प्रमाणित किये की गई है, जो कि अविधिक एवं अनुचित होने से अपास्तनीय है। अतः उपरोक्त आधार पर अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

6. उपर्युक्त विवेचन के अनुसार विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य